कौशल्या माता विहार (कमल विहार) सेक्टर–01 ई.डब्ल्यू.एस. (2बी.एच.के.) फ्लैट्स

क्र.	कुल रिक्त फ्लैटों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	पूर्व में पात्र आवेदकों की संख्या	पूर्व में अपात्र आवेदनों की संख्या	वर्तमान में प्राप्त दावा/आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आरक्षण श्रेणी	नाम	अपात्र किये जाने का कारण	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा/आपत्ति	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	दावा/आपत्ति स्वीकार करने हेतु तथ्यों का विवरण	विधिक अभिमत अनुसार पात्र/अपात्र
1	6	11	6	5	2	OBC	श्रीमती सुमित्रा दास	आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा बनाया गया है।(जबकि सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी नही है।)	आय प्रमाण पत्र दिनांक 09.11.2025 को जारी किया गया है संलग्न कर मान्य करने निवेदन किया गया है।	आय प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात दिनाक 09.11.2025 को जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
2						GEN	हेमलता	आय प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	आय प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज नही लगाया गया है लॉटरी मे शामिल करने निवेदन किया गया है।	आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र

कौशल्या माता विहार (कमल विहार) सेक्टर–04 ई.डब्ल्यू.एस. (2बी.एच.के.) फ्लैट्स

क्र.	कुल रिक्त फ्लैटों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	पूर्व में पात्र आवेदकों की संख्या	पूर्व में अपात्र आवेदनों की संख्या	वर्तमान में प्राप्त दावा/आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आरक्षण श्रेणी	नाम	अपात्र किये जाने का कारण	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा/आपत्ति	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	दावा/आपत्ति स्वीकार करने हेतु तथ्यों का विवरण	विधिक अभिमत अनुसार पात्र/अपात्र
1	20	103	67	11	3	GEN	नीति पाल	आय प्रमाण पत्र सलग्न नही किया गया है।	फार्म भरते समय आय प्रमाण पत्र सलग्न नही होने के कारण पृथक से दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व का आय प्रमाण पत्र (दिनांक 24.10.2025 को जारी) प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
2						GEN	मनीषा धनकर	फोटो गलत अपलोड किया गया है।	त्रुटि वश फोटो के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड होने के कारण त्रुटि को सुधार कर मान्य करने बाबत्।	आवेदक द्वारा फोटो हेतु निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड कर दिये जाने की जानकारी दिया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	पात्र
3						GEN	ललित यादव	आय प्रमाण पत्र सलग्न नही किया गया है।	आय प्रमाण पत्र सलग्न नही है एव लॉटरी मे शामिल करने निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र सलग्न नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
4				15	4	OBC	भारती साहू	जाति प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	दस्तावेज त्रुटि होने के कारण आनलाईन सलग्न नही किया गया है केवल निवास प्रमाण पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा जाति प्रमाण पत्र सलग्न नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
5						OBC	गौरी सोनी	आय एवं जाति प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	अन्य पिछड़ा वर्ग एव आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।	निर्धारित तिथि के बाद की तिथि दिनाक 09.11.2025 को जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
6						OBC	फूलकन्या यादव पति श्री मनोज यादव	आय प्रमाण पत्र एव जाति प्रमाण पत्र सलग्न नही है	आवेदक द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, आय प्रमाण पत्र सलग्न कर निवेदन किया गया है।	निर्धारित तिथि के बाद की तिथि दिनाक 15.01.2026 को जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
7						OBC	सपना यादव पति श्री गिरीशचद यादव	आय प्रमाण पत्र एव जाति प्रमाण पत्र सलग्न नही है	आवेदक द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, आय प्रमाण पत्र सलग्न कर निवेदन किया गया है।	निर्धारित तिथि के बाद की तिथि दिनाक 15.01.2026 को जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
8				1	1	WIDOW	लाजवती पहलाजानी	विधवा के सबध मे कोर्ट का प्रमाण पत्र नही है अथवा डिवोस के सबध मे सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	आवेदक द्वारा विधवा कोटे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। सामान्य मे शामिल करने निवेदन किया गया है।	आरक्षित वर्ग (विधवा) कोटे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर सामान्य श्रेणी मे शामिल किये जाने निवेदन किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र

कौशल्या माता विहार (कमल विहार) सेक्टर–14ए ई.डब्ल्यू.एस. (2बी.एच.के.)

क्र.	कुल रिक्त फ्लैटों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	पूर्व में पात्र आवेदकों की संख्या	पूर्व में अपात्र आवेदनों की संख्या	वर्तमान में प्राप्त दावा/आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आरक्षण श्रेणी	नाम	अपात्र किये जाने का कारण	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा/आपत्ति	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	दावा/आपत्ति स्वीकार करने हेतु तथ्यों का विवरण	विधिक अभिमत अनुसार पात्र/अपात्र
1	29	79	60	19	1	ST/SC	शीला भारद्वाज	किराया नामा 2014 का है तथा बैंक पास बुक जमा नही किया गया है।	आवेदक द्वारा 2014 का किराया नामा के आधार पर पात्र किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा आवेदन के साथ बैंक पास बुक सलग्न नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र

कौशल्या माता विहार (कमल विहार) सेक्टर–11बी ई.डब्ल्यू.एस. (2बी.एच.के.) फ्लैट्स

	[illegible] रिक्त फ्लैटों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	पूर्व में पात्र आवेदकों की संख्या	पूर्व में अपात्र आवेदनों की संख्या	वर्तमान में प्राप्त दावा/आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आरक्षण श्रेणी	नाम	अपात्र किये जाने का कारण	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा/आपत्ति	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	दावा/आपत्ति स्वीकार करने हेतु तथ्यों का विवरण	विधिक अभिमत अनुसार पात्र/अपात्र
1	21	71	52	19	2	GEN	चंदा पति श्री अजय कुमार जायसवाल	आय प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	आवेदक आय प्रमाण प्रत्र जमा नही किया गया है तथा लॉटरी में शामिल करने निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
2						GEN	केदार नाथ	आय प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	आवेदक आय प्रमाण प्रत्र जमा नही किया गया है तथा लॉटरी में शामिल करने निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
3					1	OBC	विजय रजवाड़े	जाति प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा होने तथा आय प्रमाण पत्र दूसरे जिले का होने के कारण अपात्र किया गया है।	आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र रायपुर तहसील का प्रस्तुत किया गया है तथा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।	निर्धारित तिथि के बाद की तिथि दिनाक 03.12.2025 को जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र

क भाग–2 / रा.शा. / 1472 नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 91 के अनुसार अपात्र आवेदकों के दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु 15 दिन की समयावधि निर्धारित की गई थी, तदनुसार इन्द्रप्रस्थ फेस–02 रायपुरा ई.डब्ल्यू.एस. (1बी.एच.के.) फ्लैटस हेतु प्राप्त दावा/आपत्ति का विवरण निम्नानुसार है।

	कुल रिक्त फ्लैटों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	पूर्व में पात्र आवेदकों की संख्या	पूर्व में अपात्र आवेदनों की संख्या	वर्तमान में प्राप्त दावा/आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आरक्षण श्रेणी	नाम	अपात्र किये जाने का कारण	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा/आपत्ति	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	दावा/आपत्ति स्वीकार करने हेतु तथ्यों का विवरण	समिति का निर्णय
1	77	138	74	32	10	GEN	शिव शंकर	आय प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	आवेदक द्वारा पृथक से आय प्रमाण पत्र सलग्न कर Online Form में भी जांच करने के संबध में।	आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व का आय प्रमाण पत्र (दिनांक 28.10.2025 को जारी) प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
2						GEN	खैरूल अली खान	शपथ पत्र सलग्न नही है।	आवेदक पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा शपथ पत्र दिनाक 27.10.2025 का प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
3						GEN	उषा भुजाड़े	आय प्रमाण पत्र संलग्न नही है।	आवेदक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने Online Form में जांच करने बाबत् निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व का आय प्रमाण पत्र (दिनांक 28.10.2025 को जारी) प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
4						GEN	स्नेहा तुषार सम्म्दार	आय प्रमाण पत्र संलग्न नही है।	आवेदक आनलाईन फार्म मे आय प्रमाण पत्र सलग्न नही किया गया पृथक से आय प्रमाण पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व का आय प्रमाण पत्र (दिनांक 04.11.2025 को जारी) प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
5						GEN	सुलोचना बाघ	शपथ पत्र अपूर्ण एव आय प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने बाबत्।	आवेदक द्वारा वर्तमान मे भी आय प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
6						GEN	रूपनारायण चन्द्राकर	अनिवार्य शपथ पत्र संलग्न नही है।	आवेदक पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा अंतिम तिथि दिनाक 06.11.2025 का जारी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
7						GEN	नर्गीस खातून	आय प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	आवेदक अवसर प्रदान कर पात्र करने निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
8						GEN	हिरेन्द्र कुमार पिता सतोष	आय प्रमाण पत्र बेमेतरा का है।	आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र को नही होने तथा लॉटरी में शामिल करने निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
9						GEN	रीना दास	आय प्रमाण पत्र संलग्न नही है।	आय प्रमाण पत्र को नही होने तथा लॉटरी मे शामिल करने निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
10						GEN	अमित कुमार पटेल	निर्धारित शपथ पत्र मे केवल 6 वर्षो के निवास का उल्लेख है आय प्रमाण पत्र शारदा पटेल के लिए है।	आवेदक 6 निर्धारित शपथ पत्र मे 6 वर्षो का उल्लेख एवं दावा/आपत्ति मे 10 वर्षो से निवास होने तथा आय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम जारी है लॉटरी मे शामिल करने निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा पूर्व मे 6 वर्षो का निवास का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था वर्तमान में उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न कर 10 वर्षो के निवास होने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
11				25	5	OBC	श्रीमती इनु गोस्वामी	आय प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने बाबत् निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
12						OBC	श्रीमती भारती मेश्राम	आय प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने बाबत् निवेदन किया गया है।	आय प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात् दिनाक 07.01.2026 को जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
13						OBC	श्रीमती शीतल पटेल	आय प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने बाबत् निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
14						OBC	नुतन विश्वकर्मा	आवेदन पत्र मे हस्ताक्षर नही है, आय प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	आनलाईन फार्म मे आय प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया पृथक से आय प्रमाण पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है।	आय प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि दिनाक 06.11.2025 को जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र
15						OBC	काजल केवट	आय प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	पटवारी से जारी आय प्रमाण पत्र सलग्न किया गया था जिसे परिवर्तन कर आय प्रमाण पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है।	आय प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि से पूर्व दिनाक 30.10.2025 को जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया।	अपात्र

ABHISHEK AGARWAL
(ADVOCATE)

Date : 22.01.2026

प्रति,

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
पता : द्वितीय तल, भक्तमाताकर्मा व्यावसायिक परिसर,
न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय : विधिक अभिमत।

महोदय,

मुझे आपके कार्यालय द्वारा माता कौशिल्या विहार (कमल विहार) अंतर्गत सेक्टर - 1 में 2, सेक्टर - 04 में 8, सेक्टर - 11बी में 3, सेक्टर - 14ए में 1 एवं इंद्रप्रस्थ में EWS (1 बी.एच.के.) एवं फ्लैट में 15 इस प्रकार कुल 29 दावा/आपत्ति रायपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुयी है जिसके संबंध में विधि अभिमत हेतु प्रेषित किया गया है।

<u>तथ्य</u> :-

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना इंद्रप्रस्थ रायपुरा एवं कौसिल्या माता विहार (कमल विहार) में EWS फ्लैट्स हेतु योजना निकाली गयी जो की प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में आता है तथा जिसका आबंटन की प्रिक्रिया पूर्ण रूप से लाटरी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना था।

उक्त योजना के प्रमुख नियम एवं शर्तों के अनुसार उक्त योजना में आवेदन करने की पात्रता रख सकता है हेतु निम्नलिखित शर्तें है :-

(a) छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 31 अगस्त 2015 की स्थिति में निवासरत हो।

(b) आवेदक के पुरे परिवार की अधिकतम आय रु. 3,00,000 (रु. तीन लाख) तक हो।

(c) आवेदक एवं उसके परिवार के नाम पर पुरे भारत में कही भी कोई पक्का मकान नहीं हो।

उपरोक्त वर्णित शर्तों के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय निम्नलिखित दस्तवेजों को भी ऑनलाइन अपलोड करना पूर्ण रूप से अनिवार्य था –

(a) आवेदन पत्र के साथ रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी से (सत्यापित शपथ पत्र) संलग्न करना।

(b) आवेदनकर्ता का स्वयं का निवास नहीं होने की दशा में निवास के संबंध में शपथ पत्र अथवा किरायेदारी अनुबंध प्रस्तुत करना।

(c) आवेदनकर्ता को अपना एवं परिवार का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड।

Add : H. No. 305, Behind Bakshi Dental Clinic, Sunder Nagar, Raipur (C.G.)
Mobile : 9993701130 **Email :** abhishek.agarwal.advocate@gmail.com

(d) आवेदनकर्ता का बैंक पासबुक।

(e) आरक्षण श्रेणी के लिए (ओबीसी/एससी/एसटी/स्वतंत्रता सेनानी/विधवा/शासकीय कर्मचारी/ट्रांसजेंडर/विकलांग आदि) छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी एस.डी.एम. द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

(f) सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।

अतः समस्त आवेदनकर्ता को उक्त शर्तों के अनुसार अपना फॉर्म एवं समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से दिनांक : 06/11/2025 तक रायपुर विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन वेबसाइट https://rda.cgstate.gov.in में अपलोड करना था।

<u>विधिक अभिमत</u> :-

I. <u>यह कि, कौशिल्या माता विहार (कमल विहार) सेक्टर - 01 EWS (2BHK फ्लैट्स) के संबंध में 2 दावा/आपत्ति प्रस्तुत कि गयी है जो निम्नानुसार है</u> :-

(a) **श्रीमती सुमित्रा दस** द्वारा ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण दावा/आपत्ति के साथ प्रस्तुत किया गया। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, उक्त आय प्रमाण पत्र दिनांक : 06/11/2025 के बाद दिनांक : 09/11/2025 को बनाया गया पाया गया जो अपने आप में रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के विपरीत है अतः रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आवेदन अस्वीकार कर निरस्त करना विधि अनुरूप है। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना अनिवार्य है कि, केवल लिपिक त्रुटि को एक बार स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है परन्तु आवेदिका द्वारा नियम एवं शर्तों को भली भांति जानते हुये आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया और जो आय प्रमाण प्रस्तुत भी किया जा रहा है वह दिनांक : 06/11/2025 को बाद दिनांक : 09/11/2025 को बनाया गया है एवं उक्त आय प्रमाण पत्र दिनांक : 09/11/2025 सक्षम अधिकारी जो नियम एवं शर्तों के अनुसार तहसीलदार महोदय के द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य था वह पटवारी के द्वारा बनवाया गया जो अपने आप में भी नियम एवं शर्तों के विपरीत है।

(b) **हेमलता** द्वारा ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण दावा/आपत्ति के साथ प्रस्तुत किया गया। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, उक्त आय प्रमाण पत्र दिनांक : 06/11/2025 के बाद को बनाया गया पाया गया जो अपने आप में रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के विपरीत है अतः रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आवेदन अस्वीकार कर निरस्त करना विधि अनुरूप है । यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना अनिवार्य है कि, केवल लिपिक त्रुटि को

एक बार स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है परन्तु आवेदिका द्वारा नियम एवं शर्तों को भली भांति जानते हुये आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया और जो आय प्रमाण प्रस्तुत भी किया जा रहा है वह दिनांक : 06/11/2025 को बाद को बनाया गया है जो अपने आप में नियम एवं शर्तों के विपरीत है।

II. **<u>यह कि, कौशिल्या माता विहार (कमल विहार) सेक्टर - 04 EWS (2BHK फ्लैट्स) के संबंध में 8 दावा/आपत्ति प्रस्तुत कि गयी है जो निम्नानुसार है :-</u>**

(a) **नीति पाल** द्वारा ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण दावा/आपत्ति के साथ प्रस्तुत किया गया। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, उक्त आय प्रमाण पत्र दिनांक : 06/11/2025 तक रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के विपरीत है अतः रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आवेदन अस्वीकार कर निरस्त करना विधि अनुरूप होगा। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना अनिवार्य है कि, केवल लिपिक त्रुटि को एक बार स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है परन्तु आवेदिका द्वारा नियम एवं शर्तों को भली भांति जानते हुये आय प्रमाण पत्र जो पूर्व में ही दिनांक : 24/10/2025 को बनवा लिया गया था अपलोड नहीं किया गया वह नियम एवं शर्तों के विपरीत है। दस्तावेज होते हुये एवं नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा जाने पर झेलना पड़ सकता है।

(b) **मनीषा धनकर** द्वारा अपनी तस्वीर गलत स्थान पर लगा देने एवं अपलोड किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, आवेदिका का दावा लिपिक त्रुटि एवं तस्वीर गलत स्थान पर लगाए जाने के कारण विचार्य योग्य है। यदि आवेदिका द्वारा नियम एवं शर्तों के अनुरूप समस्त दस्तावेज दिनांक : 06/11/2025 तक आवेदन के साथ अपलोड किया गया है तो आवेदिका का दावा विधिवत विचारणीय है एवं आवेदिका का आवेदन स्वीकार किया जा सकता है।

(c) ललित यादव → [illegible] द्वारा आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा जाने पर झेलना पड़ सकता है।

(d) **भारती साहू** द्वारा जाती प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है।

(e) **गौरी सोनी** द्वारा आय एवं जाती प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है साथ ही आय प्रमाण पत्र दिनांक : 09/11/2025 को जारी किया गया है जो अपने आप में नियम एवं शर्तों के विरुद्ध है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है।

(f) **फूलकन्या यादव** द्वारा आय एवं जाती प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है साथ ही आय प्रमाण पत्र दिनांक : 15/01/2026 को जारी किया गया है जो अपने आप में नियम एवं शर्तों के विरुद्ध है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है।

(g) **सपना यादव** द्वारा आय एवं जाती प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा जाने पर झेलना पड़ सकता है साथ ही आय

..5..

प्रमाण पत्र दिनांक : 15/01/2026 को जारी किया गया है जो अपने आप में नियम एवं शर्तों के विरुद्ध है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है।

(h) **लाजवंती पहलाजानी** द्वारा आरक्षित वर्ग (विधवा) कोटे का सक्षम न्यायालय का प्रमाण पत्र अथवा तलाक के संबंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है।

III. **<u>यह कि, कौशिल्या माता विहार (कमल विहार) सेक्टर - 11बी EWS (2BHK फ्लैट्स) के संबंध में 3 दावा/आपत्ति प्रस्तुत कि गयी है जो निम्नानुसार है</u> :-**

(a) **चंदा** एवं **केदार नाथ** द्वारा आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है।

(b) **विजय रजवाड़े** द्वारा आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है। इस प्रकार आवेदक का जाती प्रमाण पत्र दूसरे जिले का होने के कारण भी नियम एवं शर्तों के अनुसार नहीं होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है जो विधि अनुरूप है।

यह कि, कौशिल्या माता विहार (कमल विहार) सेक्टर - 14ए EWS (2BHK फ्लैट्स) के संबंध में 1 दावा/आपत्ति प्रस्तुत कि गयी है जो निम्नानुसार है :-

शीला भारद्वाज द्वारा किरायानामा 2014 का होने एवं बैंक कि पासबुक अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है क्योंकि किरायानामा नवीनतम समय का होने एवं बैंक पासबुक आवश्यक दस्तावेज होने के कारण दिनांक : 06/11/2025 तक आवेदन के साथ उपलध करना अनिवार्य कि श्रेणी में आता है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है।

V. **यह कि, इंद्रप्रस्थ फेस - 2 रायपुरा (1 BHK फ्लैट्स) के संबंध में 15 दावा/आपत्ति प्रस्तुत कि गयी है जो निम्नानुसार है :-**

(a) **शिव शंकर, उषा भुजाड़े, स्नेहा तुषार सम्मदार, नरगिस खातून, हीरेन्द्र कुमार, रीना दास, श्रीमती इनु गोस्वामी, श्रीमती भारती मेश्राम, श्रीमती शीतल पटेल एवं काजल केवट** द्वारा आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है।

(b) **सुलोचना बाघ** द्वारा आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है।

रूपनारायण चंद्राकर द्वारा अनिवार्य शपथ पत्र अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है।

(d) **अमित कुमार पटेल** द्वारा निवासी के समबन्ध में प्रस्तुत दस्तावेज अपलोड करने के समय 6 वर्षो का प्रस्तुत किया गया एवं आपत्ति के साथ 10 वर्षों का निवासी प्रमाण पत्र लगाया गया है अतः दिनांक : 06/11/2025 को उचित दस्तावेज अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है। इसी प्रकार आय प्रमाण पत्र अमित कुमार पटेल के नाम पर ना होना भी नियम एवं शर्तों के विपरीत है।

(e) **नूतन विश्वकर्मा** द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर ना करने एवं आय प्रमाण पत्र निर्धारित समय पर अपलोड नहीं किये जाने के कारण दावा/आपत्ति करते हुये आवेदन स्वीकार करने हेतु कहा जा रहा है। अवलोकन के उपरांत रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यह पाया गया कि, दिनांक : 06/11/2025 तक नियम एवं शर्तों कि जानकारी होने पर भी परिपालन नहीं करना आवेदनकर्ता कि भूल है और यदि अपने ही नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कोई निर्णय रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है तो भविष्य में रायपुर विकास प्राधिकरण को कानूनी मामलो का सामना अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये जाने पर झेलना पड़ सकता है अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निर्णय न्यायोचित है।

अतः विधिक अभिमत उपरोक्तानुसार प्रस्तुत।

अधिवक्ता वास्ते रायपुर विकास प्राधिकरण

(ADVOCATE)
H.NO.-[illegible], BEHIND BAKSHI
DENTAL CLINIC, [illegible] NAGAR,
RAIPUR (C.G.) MOB.[illegible]

रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक : 22/01/2026